76

संख्या: ——/XXIV(6)/2014–12(4)/12

प्रेषक,

आलोक कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा)

देहरादून दिनांक: 03 जनवरी 2015

विषय: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के आयोजनेत्तर पक्ष (Non Plan) के अन्तर्गत वचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय एवं अन्तिम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक संख्या–कैयू0/लेखा/बजट/(Non Plan)/2014 दिनांक 03 दिसम्बर 2014 एवं पत्र संख्या–कैयू0/लेखा/बजट/(Non Plan)/2014 दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के आयोजनेत्तर पक्ष (Non-Plan) के अन्तर्गत मानक मद–43 वेतन आदि वचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशि रू0 2797.16 लाख (सत्ताइस करोड़ सतान्बे लाख सोलह हजार मात्र) के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में शासन द्वारा निर्गत रू0 2000.00 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 में वेतनादि मद में शासन द्वारा निर्गत धनराशि रू0 3300.00 लाख (तैंतालिस करोड़ मात्र) का उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराते हुए वित्तीय वर्ष 2014–15 में आयोजनेत्तर पक्ष में मानक मद–43 वेतनादि वचनबद्ध मद में द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष अनुदान रू0 797.16 लाख (सात करोड़ सत्तानब्बे लाख सोलह हजार मात्र) अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 आयोजनागत पक्ष (Non Plan) में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के कार्मिकों के वेतन, भत्तों हेतु मानक मद संख्या 43 वेतन भत्तों आदि वचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशि रू0 2797.16 लाख (सत्ताइस करोड़ सतानब्बे लाख सोलह हजार मात्र) के सापेक्ष शासनादेश संख्या–636/XXIV(6)/2014–12(4)/12 दिनांक 21 अप्रैल, 2014 द्वारा प्रथम किस्त के रूप में रू0 2000.00 लाख (बीस करोड़ मात्र) की धनराशि आपके विश्वविद्यालय को अवमुक्त की जा चुकी है। उक्त स्वीकृत की गयी धनराशि के सापेक्ष मानक आगामी माहों हेतु उक्त मानक मद– 43 में कार्मिकों के वेतन भत्ते आदि वचनबद्ध मदों हेतु प्राविधानित धनराशि में अवशेष रू0 797.16 लाख (सात करोड़ सत्तानब्बे लाख सोलह हजार मात्र) की धनराशि द्वितीय एवं अंतिम किस्त के रूप में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–318/XXVIII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत करते हुए आपके नियंत्रण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है–

(i) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल नियमित वेतन भत्ते आदि वचनबद्ध मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाएगा तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी। उक्त स्वीकृत धनराशि के बिल जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जाएगे।

(ii) विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जबकि गत् वित्तीय वर्ष/वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार उपभोग कर लिया गया हो तथा कोई भी धनराशि अवशेष न हो। धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार ही किया जाएगा।

(iii) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। उक्त मद में व्यय करने के उपरांत यदि धनराशि अवशेष रह जाती है तो प्रशासकीय विभाग को इसकी सूचना अनिवार्य रूप से दी जाय ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

(iv) व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर वित्त विभाग के निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस संबंध में वेतन मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्य योजना बना ली जाय। तदनुसार विशेषकर आयोजनेत्तर पक्ष में बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत किया जाना सुनिश्चित करें।

(v) जिन कार्मिकों ने राजकीय दर पर पेंशन का विकल्प दिया है, उनके जी.पी.एफ की धनराशि उनके वेतन से काटकर राजकीय कोषागार में नियमित रूप से जमा करवाया जाये, उसे अन्यत्र जमा न किया जाय।

(vi) नए पदों के सृजन/ढांचे, नई नीति निर्धारण अथवा वर्तमान नीति में संशोधन, करों/यूजर्स चार्जेज में संशोधन, निधियों का गठन, अनुदान राशि में संशोधन, नियमावलियाँ आदि सभी प्रकरण शासन को भेजे जाए ताकि वित्त विभाग के परामर्श से अनुमोदन दिया जा सके।

(vii) विभिन्न मदों में व्यय भार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जाएगी एवं कोई भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जाएगा, क्योंकि उससे मासिक आधार पर व्यय की भ्रामक सूचना परिलक्षित होती है। इस संबंध में समस्त वित्तीय नियमों, विनियमों एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 264/XXVII(1)/2013 दिनांक 30.3.2013 में दिए गए दिशा-निर्देशों का भी पूर्णतः अनुपालन किया जाय।

(viii) इस अनुदान का उपयोग शासन द्वारा अनुमोदित पदों, मदों पर ही किया जायेगा। अस्थायी रूप से इसका कोई भी भाग अन्य अनानुमोदित पदों, अवकाश नगदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता, लेखन सामग्री, डाक, वाहन, विज्ञापन, परीक्षा, अतिथि सत्कार एवं मानदेय पर व्यय नहीं किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्ययावर्तन किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा।

(ix) किसी भी दशा में एक मद की धनराशि दूसरे मद में व्यय न की जाये अन्यथा की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी का पूर्णतः उत्तरदायित्व होगा। जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किए जाय, उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या/मद का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।

(x) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रियानुसार कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक सहित बजट की सीमा तथा व्यय बी0एम0-08 पर व्यय विवरण, उपभोग प्रमाण पत्र शासन के प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को माह की अगली 05 तारीक तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

(xi) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि (वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के पैरा-162) समस्त आहरित अग्रिमों का समायोजन आहरण-वितरण अधिकारियों द्वारा 30 दिनों के अन्दर कर दिया जाय तथा डीटेल्ड कन्टीजेन्ट (डी0सी0) बिल महालेखाकार को भेज दिए जाय। विभिन्न अग्रिमों का आहरण अधिकारों के प्रतिनिधायन 2010 में दी गई सीमाओं के अनुसार ही किया जाये।

2- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 में निहित प्राविधानानुसार तथा सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्गत विशिष्ट एलॉटमेंट आई0डी0 संख्या-

(प्रति संलग्न) द्वारा निर्गत किये जा रहे है।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-102-विश्वविद्यालयों को सहायता-आयोजनेत्तर-03-कुमाऊँ विश्वविद्यालय-00-43-वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान की सुसंगत इकाई के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 सुधांशु)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या:/61/ /XXIV(6)/2014-12(4)/2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
5. कोषाधिकारी, नैनीताल।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग-3/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।